पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

दिसंबर, 2021 मास की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं: -

1. सचिवों के क्षेत्रीय समूह की सिफारिशों पर, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 का व्यापक पुनर्विलोकन किया गया। पुनर्विलोकन के आधार पर, संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों का मसौदा तैयार किया गया और सभी संबंधितों अर्थात व्यय विभाग (डीओई), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), लेखा महानियंत्रक (सीजीए) और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय की टिप्पणियों/विचारों को मंगवाने के लिए 24.07.2020 को परिचालित किया गया। इन विभागों से प्राप्त टिप्पणियों पर विभाग में विचार किया गया और संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के मसौदे में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया। तत्पश्चात, फाइल को 07.07.2021, 09.09.2021 और 02.11.2021 को अंग्रेजी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों और उसके तहत फॉर्मों/फार्मेटों को और 09.11.2021 को हिंदी नियमों को पुनरीक्षण के लिए विधि मंत्रालय (विधायी विभाग) को संदर्भित किया गया। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के मसौदे की हिंदी और अंग्रेजी में समीक्षा के पश्चात और सीएजी के परामर्श से, नई केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 को भारत के राजपत्र में, जीएसआर 868(अ) दिनांक 20.12.2021 द्वारा जारी किया गया। ये नए नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख यानी 20.12.2021 से लागू हो गए हैं।

2. दिनांक 9 दिसंबर, 2021 के का.ज्ञा. सं.1/15/2020-पी&पीडब्ल्यू(ई) द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में जहां **किसी सरकारी सेवक की मृत्यु शास्ति चालू रहने की अवधि के दौरान हो जाती है,** जिसकी समाप्ति पर उसे वह वेतन पुनः वापस मिल जाता, जो उसे तब मिलता यदि उस पर शास्ति आरोपित न की गई होती, ऐसे सरकारी सेवक की बाबत कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान का निर्धारण उस नोशनल वेतन के आधार पर किया जाएगा जिसका वह मृत्यु की तारीख पर हकदार होता और इस प्रयोजन के लिए ऐसे नोशनल वेतन को परिलब्धियों के रूप में माना जाएगा।

3. महामारी के दौरान पेंशनभोगियों के जीवन को सुविधापूर्ण बनाने की दिशा में एक उपाय के रूप में, **पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की समय-सीमा** को 30.11.2021 से बढ़ाकर 31.12.2021 कर दिया गया और इसे लेखा महानियंत्रक (सीजीए) की सहमति से पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 01.12.2021 और 31.12.2021 के का.ज्ञा. सं.18/1/2020-पी&पीडब्ल्यू(एच)-I1-6786 द्वारा 28.02.2022 तक विस्तारित किया गया। इस उपाय से बैंकों में स्वयं जाकर अपना जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के इच्छुक पेंशनभोगियों की कतारों को कम किया जा सकेगा।

4. **एनपीएस के तहत कवर किए गए लापता केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के परिवार** को सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 का लाभ प्रदान देने के प्रस्ताव को डीएफएस, सीजीए और डीओपीटी से टिप्पणियां प्राप्त करने के पश्चात दिनांक 04.08.2021 को व्यय विभाग की सहमति के लिए अग्रेषित किया गया था। व्यय विभाग के दिनांक 06.10.2021 के नोट के माध्यम से, प्रस्ताव पर कुछ स्पष्टीकरण की मांग करते हुए, विभाग को प्रस्ताव वापस प्राप्त हुआ है। दिनांक 08.11.2021 को व्यय विभाग को पुनः प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

5. सीपेनग्राम्स में पंजीकृत शिकायतों के समय पर और गुणात्मक निपटान सुनिश्चित करने के लिए, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और रक्षा वित्त विभाग के साथ दिनांक **16.12.2021** को **अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठक** आयोजित की।

जारी ...2

6. (क) **भविष्य** पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पांच (5) प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

(ख) संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप और आसूचना ब्यूरो में **भविष्य** के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

(ग) शिकायत समाधान, भविष्य, अनुभव और संकल्प पर स्थिति अनुबंध में यथा उपदर्शित है। विस्तृत जानकारी निर्धारित प्ररूप में ई-मेल द्वारा भी भेजी जा रही है।